International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
Vol. 3, Issue 12, December 2016 Impact Factor- 5.414
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
© Associated Asia Research Foundation (AARF) Website:
www.aarf.asia Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

"श्री"

"महिला सशक्तिकरण: दशा और दिशा"

डॉ. लाखा राम चौधरी, पीएच.डी. (लोक प्रशासन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हरियाणा, चण्डीगढ़ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत

आज नारी संक्रमण काल से गुजर रही है। उसका एक पांव घर से बाहर निकला हुआ है, लेकिन दूसरा अभी भी रसोई की चौखट के अंदर है। शिक्षा ने उसके क्षितिज का विस्तार किया, पर घर-परिवार की लक्ष्मण रेखा उसे अब भी घेरे हुए है, अब भी पिता की दृष्टि में दान और पति की दृष्टि में वह भोग की वस्तु है। आज नारी स्वतंत्रता आन्दोलन का जो नारा दिया जा रहा है, वह नारी स्वच्छंदता की वकालत ज्यादा कर रहा है, जिसके कारण नारी की गरिमा खण्डित हो रही है। मनुष्य समाज जिन पहियों के बल पर अपनी जीवन यात्रा करता है वे पहिए हैं पुरूष और महिला नर और नारी दोनों न केवल एक-दूसरे के पूरक हैं,बल्कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी संभव नहीं हैं। इनमें एक श्रम है, दूसरी उस श्रम की प्रेरणा शक्ति। एक बाहरी परिवेश का निजता है तो दूसरी आंतरिक और घरेलू मोर्चे की अधिष्ठात्री, लेकिन दोनों के आपसी संबंधों के बीच समानता के संतुलन का अभाव साफ-साफ दिखाई देता है। पुरूष सदैव महिला को अपने अधीन रखता है। नारी जाति स्नेह एवं सौजन्य की देवी है। ईश्वर के बाद माता या जननी का स्थान निर्धारित होता है। नर का अस्तित्व नारी के बिना संभव नहीं है। जन्मदात्री तो वह होती है। स्नेह,दुलार,करूणा,आशीष और सेवा की संजीवनी पिलाती है। वह वंदनीय होती है। वह पुरूष की निर्मात्री है। किसी भी राष्ट्र का उदय नारी जाति के उत्थान से ही होता है। नारियां पुरूष की उन्नति-अवनति, आदर-अनादर , सफलता-असफलता, सुख-दुख की जननी है। वह गर्भ धारण करती है, शिशु को जन्म देती है और जब तक वह अपने पैरों पर नहीं चल पाता और अपने हाथों से नहीं खा पाता उसे अपनी छाती से लगाए रखती है एवं अपना मातृत्व रस पिलाती रहती है। माता के वंदनीय रूप से अतिरिक्त भी वह बहन, पत्नी, पुत्री तथा अन्य पारिवारिक रिस्तों से जुड़कर पुरूष समुदाय को जीवनदायी की स्नेह भावना से रसमय बनाती है।

पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में, "एक अच्छे राष्ट्र को बचाने के लिए महिला सशक्तिकरण एक आवश्यक पूर्व दशा है। क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो समाज में स्थायित्व सुनिश्चित होता है। महिला सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि उनके विचार एवं मूल्य की एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज एवं अंतत: एक अच्छे राष्ट्र के विकास की अगुवाई करते हैं।"

भारत में प्राचीनकाल से ही नारी की समाज में एक विशिष्ट स्थिति रही है। वेद उसे पुरूष के समकक्ष रखते हैं, उसे प्रकृति कहा गया यानि जीवन का मूल तत्व। उसे देवी, मातृशक्ति, गृहलक्ष्मी निरूपित किया गया। अरूंधती, सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी, भारती जैसी विदुषी नारियाँ कहीं से भी उस

समय के ऋषियों से कमतर नहीं थी। वीरांगना नारियों की भी भारतीय इतिहास में न जाने कितनी गाथाएँ हैं। मध्यकाल या मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा एवं बाल-विवाह के प्रचलन के कारण अत्यंत कम लड़कियां बचपन में शिक्षा प्राप्त करती थी, परंतु शाही घरानों तथा अमीर परिवारों की लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। यही कारण है कि गुलबदन बेगम, सालिमा सुलताना, नूरजहां, मुम्ताज महल, जहांआरा बेगम, जेब-निस्सा आदि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थी। इतिहास का थोड़ा सा काल खण्ड छोड़ दें तो भारत में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में स्त्रियों की सफलता और उनका सम्मान पुरूषों से कहीं कमतर नहीं दिखता। परन्तु कालान्तर में भारत में जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाएं भेदभाव का सामना करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आर्थिक भागीदारी आदि अनेक प्रमुख संकतेक देश में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति में विद्यमान असंतुलन की ओर ही इशारा करते हैं। देश की गौरवशाली संस्कृति ने 'मातृदेवी भव' तथा 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'की घोषणा कर नारी को देवी का स्थान प्रदान किया है। परन्तु वर्तमान काल में इस मान्यता में कुछ विकृतियां आने लगी हैं जिसके कारण आज 'समाज में महिला सशक्तिकरण' एक प्रमुख चुनौती बन गई है।

नारी के बिना दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर ने नारी की शारीरिक रचना इस प्रकार की है कि वह संसार के भविष्य की स्वयं निर्मात्री हो गई। कई युग पुरूष हुए हैं जो नारी के किसी न किसी रूप से चाहे वह मां, बहन, पत्नी, भाभी अथवा दाई रही हो से प्रभावित होकर महान बने हैं। नारी शनैः शनैः समय और विचारधाराओं के परिवर्तन से ज्ञात और अज्ञात कारणों से घर की ऊंची-ऊंची दीवारों में बंद होकर अविधान एवं अज्ञान के अंधकार में डुबकियां लगाने लगी उसका पग-पग पर अपमान होता रहा तथा लगातार ठुकराए जाने के बावजूदर भी वह जीवन की अंतिम सांस तक सामाजिक यातनाओं को चुपचाप सहन करती रही। सामन्यतया धर्म के बहाने आडंबर और कर्मकाण्ड से घिरने के कारण समाज में बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी, विधवाओं की दीन-हीन दशा, सती प्रथा, कन्या पक्ष को नीचा समझा जाना, कन्या शिशुओं का वध, नारी की उच्च शिक्षा का बहिष्कार, उत्तराधिकार से वंचित होना और आर्थिक परतंत्रता जैसी सामाजिक कुरीतियों के पराधीन भारत को इतना निम्न बताया जा रहा है कि वह नारी की पीड़ा को समझ न सका और आज स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद भी बार-बार सचेत किए जाने पर भी भारत में पूर्णरूपेण नारी जागृति नहीं हो पाई है। प्रसूति समस्याएँ, गर्भ में कन्या होने की स्थिति में गर्भपात, शिशु कन्याओं की हत्या, बीमारियों में बालिकाओं की उपेक्षा, बलात्कार, उत्पीड़न, अनैतिक व्यापार, कम आयु में विवाह आदि समस्याओं के निवारक कानून यथा-नारी उत्पीड़न निरोधक बिल (1995), कामकाजी महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार निरोध आदि के द्वारा नारी उत्पीड़न तथा अत्याचारों पर रोक लगाने के प्रयत्न हुए हैं। राजनैतिक दृष्टि से भी महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण उपलब्ध हुआ है। 21 वीं सदी में भी वधू दहन आज भी निर्भयतापूर्वक होता है, तलाक नारी के लिए कलंक और पुरूष के लिए आजादी है, जहां बाल भ्रूण हत्या लैटेस्ट फैशन है। एक ऐसे अमानवीय पतनशील समाज में स्त्री फिर भी जीवित है यह क्या किसी आश्चर्य से कम है। अतः नारी शक्ति, शौर्य और सामर्थ्य का दूसरा नाम है। लैंगिक समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान के प्रस्तावना मूल अधिकारों, मूल कर्त्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। संविधान न केवल महिला समानता की बात करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में विभेदकारी नीतियाँ बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। हाल के वर्षो में महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में महिला- सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण संबंधी अनेक कार्यक्रम एवं उपाय प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए गए।

भारतवर्ष जैसे राष्ट्र में नारी स्वयं में ही सदैव से शक्ति के प्रतीक देवी स्वरूप में प्रतिष्ठित है, आधुनिक समाज में नारी सशक्तिकरण का मुद्दा कोई नवीन शीर्षक नहीं अपितु यह तो सदैव से ही भारतीय सभ्यता का प्रतीक रहा है। राष्ट्र की परम्परा, संस्कृति, सभ्यता व साहित्य उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति से ही परिलक्षित होती हैं। मीडिया में स्त्री की भागीदारी ने स्त्री सशक्तिकरण, बाल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण सुरक्षा आदि मुद्दों पर बहस को नया आयाम दिया है। अगर मीडिया में स्त्री छवि के प्रस्तुतिकरण की बात करें तो चैनल उन इमेजों को प्रसारित करने में उत्साहित रहते हैं जो लोकप्रिय होने के साथ महानगरीय भी हैं। दूरदराज गाँव की स्त्रियों की समस्याएँ, कामगार महिलाओं का शोषण, आदिवासी औरतों का दुष्कर जीवन की यदा कदा ही कोई रिर्पोटिंग, वार्ता, साक्षात्कार, वृत चित्र नजर आते हैं। साथ ही मीडिया स्त्री जीवन के उन वृतान्तों को भी कवरेज नहीं देता जो समाज की अन्य स्त्रियों के लिए मिसाल हो सकती है।

भूमण्डलीकरण व उदारीकरण के दौर में चाहे बैंकिंग हो या वित्त, राजनीति हो, होटल हो या अस्पताल चलाने का मामला, वाहन उत्पादन से लेकर दवा उत्पादन तक या ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरिंग व जैव प्रौद्योगिकी जैसी विशेषज्ञता का क्षेत्र, महिलाएँ आगे बढ़कर कम्पनी या संस्थान की कमान संभाल रही हैं और अभिनव प्रयोगों से अपनी प्रतिभा के झ ंडे फहरा रही हैं। अरूंधती भट्टाचार्य, इंदिरा नूयी, साक्षी मलिक, पी.वी. सिंधू, दीपा मलिक, दीपा करमाकर, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधिया, किरण बेदी, मैरीकॉम, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, लारा दत्ता, अमृता चांडी, रेखा मेमन, स्मृति ईरानी, श्रीमति इन्दिरा गाँधी, एनीबेसेन्ट, आरती साहा, ऐश्वर्य राय जैसी अनेक महिलाएँ अपने क्षेत्र में शीर्ष पर विद्यमान हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार, इंजीनियरिंग, सेना, राजनीति और रिटेल जैस पुरूषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में उच्च पदों पर भी अब महिलाएं पहुँच रही हैं। इन क्षेत्रों में लागू तथाकथित बंदिशें लाँघ रही हैं। इन सबके बावजूद आज भी महिलाओं के एक बड़े तबके के लिए उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी फैसलों पर पुरूष ही हावी रहते हैं। परम्परा से हटकर कोई भी कार्य उनके लिए अपमानजनक होता है।

आज के दौर में युवा महिलाएँ अपने कैरियर को एक नए मुकाम पर पहुँचा रही हैं और अपने फैसले स्वयं कर रही हैं। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक, संयुक्त परिवारों से लेकर एकांकी परिवारों तक की युवा महिलाएँ जीविकोपार्जन और नए कैरियर के खातिर बढ़-चढ़कर काम कर रही हैं। बेटी को पिता की चिता को अग्नि देते देखना या महिलाओं को पुरोहित का काम करते देखना अब असामान्य बात नहीं है। वह एक गहन प्रतीकात्मक बदलाव है।

संस्कारों से प्रभावित नई पीढ़ी जब नारी के दैहिक सौंदर्य को ही देखना चाहती है तो नारी कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का सहारा लेने पर विवश हो जाती है। नारी को नुमाइश और भोग की वस्तु के बतौर चित्रित करने का उपक्रम इतनी आक्रामकता से कभी नहीं चला था। मार्केटिंग विशेषज्ञ चाहते हैं कि स्त्री के उस स्वाग्रह का ही गुणगान किया जाए जो बाजारू हो और बाजार में तेजी ला सकती हो। अधिकांश पत्रिकाएं स्त्री के यौन आकर्षक के उभार को दिखाने वाले चित्रों में भरी रहती हैं। विज्ञापनों में उसी को मोहक-नाजी अंदान में दिखाया जाता है। आज जो छेछ़छाड़, शील हरण आदि घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके पीछे नारी का आकर्षक दीखने, फैशन परस्ती की ओर भागने की भूल भी बहुत बड़ा कारण है। आधुनिकता के नाम पर नारी और उसका रूप सौंदर्य ही विज्ञापनों की वस्तु बनकर रह गया है, जो सिनेमा के विज्ञापनों से लेकर कैलेण्डर, साबुन, दंत मंजन और बीड़ी माचियों तक में नारी को ही चित्रित किया जाता है। लाटरी के विज्ञापनों से लेकर शराब की बोतलों तक में उसी की छवि प्रदर्शित की जाती है। बाजार की हर वस्तु की बिक्री का ठेका मानो नारी के सौंदर्य ने ले लिया है अथवा नारी का सौंदर्य इतना हेय है कि उसे सार्वजनिक शौचालयों तक में चिपकाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं।आज यौन भोग और प्रदर्शन को नारी मुक्ति का पर्याय बनाने और उन्मुक्त भोग-उपभोग को आधुनिक नारी की उपलब्धि बताने वाले, महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के लिए दूसरी तरह का जाल बुन रहे हैं। है। विज्ञापनों में नारी की देह का प्रदर्शन तथा फिल्मों में भी नारी नग्नता प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं है। जिससे महिलाओं के प्रति शिष्टता का हनन हो रहा है। विज्ञापन सेंसर होने के लिए भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 242,293 और 294 दृष्टव्य हैं। अश्लील तथा भद्दा चित्र प्रकाशित या प्रदर्शित करके किसी महिला को ब्लैकमेल करने को रोकने के लिए 23 दिसंबर 1986 को स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 बनाया गया। फिल्मों पर रोक लगाने के लिए 1952 में सेंसर बोर्ड का गठन किया गया। धारा 167 के अन्तर्गत रिमाण्ड के लिए यदि महिला अभियुक्त को बुलाना आवश्यक हो तो सुरक्षा का प्रबन्ध करना आवश्यक है। सशक्तिकरण के नाम पर महिलाएँ सत्ता का दुरूपयोग कर पुरूषों की गलतियों को ही दोहराकर अपने लक्ष्य से भटक रही हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा '498 ए' महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए जोड़ी गई, लेकिन अब यह बदला लेने का हथियार बन गई है। विज्ञापन अपने ब्राण्ड की प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि के लिए ऐसी छवि का निर्माण करता है जो अधिकाधिक लोगों को आकर्षित कर उपभोग के लिए बाध्य कर सके। स्त्री देह की छवि उत्पाद में आकर्षण के साथ विश्वसनीयता का भी इजाफा कर देती है। स्त्री देह की यह छवि भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व नहीं करती अपितु स्त्री सौन्दर्य के विश्व मानकों का अनुकरण करती उपभोग को उकसाती है। अत: निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि नारी को आज के इस भौतिकवादी युग में अपने अतीत की वैभवशाली एवं आदर्श छवि को बनाए रखने के लिए कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का सहारा लेकर दैहिक सौंदर्य को निखारने की भूल न करके अपने गुणों के अभिवर्धन और व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व को कहीं अधिक

प्रभावशाली बना सकती है। अत: उन्हें बाह्य दैहिक सौंदर्य को निखारने की अपेक्षा अपने आंतरिक स्वाभाविक सौंदर्य रूपी सद्गुणों से ही सजना चाहिए। मन की निर्मलता एवं स्वभाव की पवित्रता से सच्चा श्रृंगार होता है।

प्राय: सूचना, संचार, तकनीकी का विकास, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, राजनैतिक सबलीकरण के प्रयास के कारण आज महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होना प्रारम्भ हुआ है। महिला सशक्तिकरण की सम्पूर्ण अवधारणा "महिलाओं को समुचित अवसर प्रदान करने में हैं।" भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। भारतीय समाज में महिलाएँ दीर्घकाल से यातना, शोषण, उत्पीड़न, अवमानना और उपेक्षा की शिकार रही है। इनकी सामाजिक दुर्दशा को कहीं न कहीं विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों एवं समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने बढ़ाया है।

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़, घरों, सड़कों, बगीचों, कार्यालयों सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, हत्या आदि के जो मामले प्रकाश में आते हैं, उनमें से अधिकांश सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। बाल-विवाह की त्रासदी, महिलाओं का अपहरण करके उन्हें वेश्या बना देना, जलाकर मारना एवं तरह-तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देना सामान्य सी बात हो गई है। महिला साक्षरता अभियान एवं सशक्तिकरण के द्वारा ही उनको मूलभूत अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। महिलाओं ने स्वयं अपने शोषण, उत्पीड़न, प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठायी है। समानाधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्तुति, तलाक के अधिकार, मताधिकार, परदे का विरोध, शिक्षा के अधिकार आदि माँगों को लेकर सक्रिय है, फिर भी आज के वातावरण में कई स्थानों पर देखा गया है कि वह अज्ञानता के गर्त में ही डुबकियां लगा रही है। वह सामाजिक प्रताड़नाओं को मूक पशु के समान सहन कर रही है। अगर देखा जाए तो कहीं किसी स्थान पर हम स्त्रियों में कोई कमी अवश्य है जिस पर चर्चा करके भी हम 'नारी सशक्तिकरण' को और भी प्रबल बनाने में सक्षम होंगे।

अफ्रीकी महिलाओं का यह मुक्ति गीत आधुनिक स्त्री की आवाज है-

मेरी बस एक ही गुजारिश है
तुम मुझे पैसे मत दो
बेशक मुझे उनकी जरूरत है
मुझे अच्छा खाना भी मत दो
मेरी बस एक ही गुजारिश है
..... कि मेरा रास्ता मत रोको।

कई शताब्दियों के बाद दलित शोषित एवं विष के घूँट पीने वाली नारी ने एक जबरदस्त अँगड़ाई ली है जिससे उसकी पराधीनता की कड़ियों के कुछ जोड़ चटक चटक कर टूट गए हैं। वह अन्यायी पुरूषों की ओर एक क्रोध एवं विद्रूपता भी दृष्टि फेंकती हुई तीव्र गति के साथ अपने पथ पर प्रगतिशील है।

अस्तू! महिला सशक्तिकरण में स्त्री संगठनों, गोष्ठियों, विचारों के आदान-प्रदान एवं सामाजिक सुधारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई संवैधानिक मान्यतायें एवं व्यवस्थायें की गयी और समय-समय पर ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करके उन्हें ऊँचा उठाने पर प्रबल शक्ति के रूप में अधिकार दिए गए जो आज हमारी उपलब्धियों और सशक्तीकरण का साक्षी प्रमाण है। संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं- सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, अलग रहने एवं भरण पोषण हिन्दु विवाहित स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, अस्पृश्यता (अपराध नियम) 1955, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, हिन्दू नाबालिग एवं संरक्षित अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 और मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक

अधिनियम 1976, स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम 1986, भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम 2001, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2001, परित्यक्ताओं के लिए गुजारा भत्ता संशोधन अधिनियम 2001, बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण अधिनियम 2001 आदि प्रमुख हैं।

प्रत्येक परिवार समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का मूलाधार नारी ही रही है। अत: समाज देश और राष्ट्र की महत्वपूर्ण घटक नारी को उच्च शिक्षा देना आवश्यक है। प्रत्येक जाति का उत्थान एवं उद्धार नारी शक्ति से ही सम्भव है। विवेकानन्द ने नारी शिक्षा के विषय में कहा है- जो जातियाँ नारी का सम्मान करना नहीं चाहती वह जाति न अतीत में उन्नति कर सकी हैं और न भविष्य मे कर सकेगी। जब तक स्त्रियों की हालत में सुधार नहीं होगा तब तक संसार में कोई समृद्धि की सम्भावना नहीं है। पक्षी एक पंख पर कभी नहीं उड़ पाया।

'दुर्गा सप्तशती' में यह वर्णित है कि विद्या समस्तास्तव देवि भेदा: स्त्रिय: समस्ता: सकला जगत्सु। अर्थात इस समस्त जगत की संपूर्ण विद्याएँ व सम्पूर्ण नारियाँ उस एक परात्म शक्ति दुर्गा के ही रूप है। भारतवर्ष की अजेय नारी सावित्री, सीता, अनुसूया आदि के रूप में आधुनिक युग की नारियों के हृदय में सदैव पूजनीय रही हैं। भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ पूजनीय माँ काली को भारत माता का प्रतीक माना गया है। बंकिमचंद ने आनन्दमठ में उदबोधन दिया-

' हे माँ! यह आपकी ही छवि है जिसकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं।

भारत के संदर्भ में स्त्री की छवि को दो रूपों में देखा गया है- पतिव्रता और विलासिता की प्रतीक माया। एक सद्चारिणी, धर्मपरायण, शास्त्रों की अनुगामिनी। दूसरी व्याभिचारिणी, विलासिता की उपकरण, सांसारिक बंधनों का प्रतीक।

भारतीय समाज में नारी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति में कहा गया है कि "आत्म कल्याण" की अभिलाषा रखने वाले प्रत्येक पिता, माता, पति और जयेष्ठ, देवर इत्यादि का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे विभिन्नरूपों में नारी का आदर करें। यह भी कहा गया है कि"जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर के ऊपर देवी-देवताओं की अनुकम्पा बनी रहती है और जिस घर में उसका अपमान किया जाता है उस घर में कोई भी पुण्य कर्म कभी फलित नहीं होते हैं।"

महिला ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति, सृष्टि का उद्गम स्त्रोत एवं जीवन रूपी द्विपाद-चक्रवाहिनी का एक मजबूत पहिया है। ममता व करूणा की प्रतिमूर्ति, त्याग और बलिदान की अधिष्ठात्री, प्रेम एवं समर्पण की पर्याय आदि विभिन्न आदर्शवादी स्वरूपों में महिलाओं की भूमिका सदा ही अविस्मरणीय रही है। कालांतर में भारत पर होने वाले लगातार विदेशी आक्रमणों के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी।

क्या नारी भयमुक्त होकर अपने सम्मान को खोये बगैर समाज में प्रतिष्ठा और बराबरी का दर्जा पा रही है? क्या हमारे कानून और नियम औरतों को उसका हक दिलवा रहे हैं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिल सका है।

महिला शिक्षा, शील, ममता, विश्वास, स्नेह और वात्सल्य की शक्ति अर्जित करके समाज को इतना उन्नत कर सकती है कि पुरूष को उनकी बराबरी करने पर गर्व हो। महिला सशक्तिकरण तभी सार्थक है जब महिलाओं का स्थान समाज की जननी, पालक और पोषक के रूप में सुरक्षित हो। ऐसी स्थिति में दुनिया का कोई भी व्यक्ति या समाज अपने पालक और पोषक का अहित करने की हिम्मत नहीं कर सकता है।

आंकड़ों एवं महिलाओं की भागीदारी एवं उनके विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर चर्चा एवं चिन्तन करने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि अभी भी वास्तविकता कहीं और है। मात्र कुछ महिलाओं का उदाहरण देकर हम सशक्तीकरण की बात नहीं कर सकते जब तक कि महिलाओं में साक्षरता पूरी तौर पर न आ जाए। आज देश की आधी जनसंख्या को स्वयं ही अब जागना होगा और स्वयं को इस रूप में तैयार करना होगा कि वे देश के विकास में भागीदार हो। आज महिलाओं को उचित अवसर की आवश्यकता है इसे प्राप्त होते ही वह अपनी असीम शक्ति को समाज में प्रदर्शित कर सकती है। वैश्वीकरण, बाजार और मीडिया ने पूरे विश्व के स्त्री विकास के मानक चिन्हों को लगभग एक कर दिया है। अवसरों की माँग, देह व सौन्दर्य के प्रति बोध व विश्वास, लैंगिंक पूर्वाग्रह का विरोध, पितृसत्ता को स्त्री विकास में बाधा मानना, स्त्री के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक समानता की माँग अब प्रमुख मानक चिन्ह हैं।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति का इतिहास गत्यात्मक रहा है। प्राचीन भारत से लेकर स्वतंत्र भारत तक नारी की परिस्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, धन और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। वैदिक काल में नारियों की प्रस्थिति न केवल अच्छी थी, अपितु अत्यन्त उन्नत भी थी। इस काल की अपाला, घोषा, विश्वतारा एवं माण्डवी आदि को चमकता हुआ नक्षत्र कहा जाए तो

कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये नारियां साहित्य, व्याकरण, वेद आदि का प्रतीक समझी जाती थी। उपनिषद्काल भी नारियों की महिमा से मण्डित था। रामायण और महाभारत काल में नारियों की प्रस्थिति में कुछ गिरावट आई फिर भी सीता और द्रौपदी जैसी नारियां अधर्म और पाप की समाप्ति का निमित्त बनी। किन्तु इसके पश्चात् मुगल साम्राज्य तक इनकी प्रस्थिति में क्रमिक गिरावट देखी गयी लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नारियों की प्रस्थिति में कुछ सुधार हुआ।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएँ लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं, जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। आज शनैः शनैः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा हैं, परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनकी हत्या, अपहरण, बलात्कार, पिटाई तथा जलाया जाता है। संविधान की दृष्टि से छेड़छाड़, हरण, अपहरण, बलत्कार, हत्या सभी दण्डनीय अपराध हैं। इन अपराधों के लिए भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 363,366 ए 354,509,367,373,375,376 व 377 दृष्टव्य है। धारा 376, 377 और 354 के अन्तर्गत यौन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है।

आज तमाम शिक्षित महिलाएँ अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए घर, गृहस्थी संभालने के साथ-साथ आजीविका के लिए काम भी करती हैं। आजकल विवाह प्रसंगों में भी वर पक्ष ऐसी ही लड़की पसन्द करता है जो कहीं न कहीं नौकरी करती हो। आर्थिक पक्ष आज प्रबल होता जा रहा है। लड़कियों में पर्याप्त आत्मविश्वास बढ़ने के कारण और उनके अनुरूप नौकरी की सुविधाएं होने के कारण अधिक से अधिक लड़कियां नौकरी के क्षेत्र में पर्दापण कर रही हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ वह पहुँच नहीं रही हैं। सेना, एयर होस्टेस, पायलट, पुलिस, विज्ञान, टैक्नोलोजी, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, प्रशासन, एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लघु उद्योग धन्धे, वस्त्र निर्यात आदि अनेक व्यवसायों में कार्यरत हैं। यहाँ तक कि खेतिहार मजदूर महिलाएँ एवं रोजमर्रा मजदूरी करने वाली महिलाएँ प्रचुर संख्या में विद्यमान हैं। महिलाएँ विस्तृत कार्यक्षेत्र में आज अग्रणी हो रही हैं, किन्तु देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं परम्परागत परिस्थितियां उनके मार्ग में अवरोध भी खड़ा कर रही हैं।

जब शिक्षित और अपनी योग्यता में दक्ष कामकाजी महिलाओं के साथ अवांछनीय व्यवहार होता है तो गरीब और अनपढ़ कामकाजी महिलओं का क्या हाल होगा। बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने वाले ठेकेदार और उनके कर्मचारी, मजदूरी करने वाली महिलाओं का शील भंग व यौन शोषण करना अपना अधिकार समझते हैं। इसके लिए समाज और सरकार की सभी संस्थाओं को उपाय अवश्य ढूंढने चाहिए।

निजी संस्थाओं तथा सरकारी तंत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के साथ उनके सहयोगियों तथा अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार का अशलील तथा अशिष्ट व्यवहार किया जाता है, वह निदंनीय है। महिला किसी पुरूष से सहजरूप से सहकर्मी के नाते यदि दो शब्दों का आदान-प्रदान कर लेती है, तो निश्चय ही वह संदेह के घेरे में आ जाती है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महिलाएँ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही हैं।

अन्ततोगत्वा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कानून कागजी रूप से जितना सशक्त सहारा प्रतीत होता है उतना व्यावहारिक रूप में नहीं है। अतः आज समय कि माँग यह है कि कानूनों को व्यावहारिक बनाने के प्रयास के साथ-साथ अपने सामाजिक ढाँचे में भी परिवर्तन करना होगा। वर्तमान में यही कहा जा सकता है कि स्त्री की विभिन्न छवियों में उसे व्यावहारिकता जोड़ते हुए इमेज के जादू से बाहर निकल वास्तविक संदर्भो से जोड़कर देखना होगा। ताकि देहवादी सौन्दर्य से बाहर की स्त्री क्षमताओं के सच को पहचान उसके प्रति सम्मान की दुष्टि का विकास हो। महिलाओं को विकास के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर जागृत करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षो से काफी प्रयास किये जा रहे हैं। स्त्री-पुरूष सभी को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। स्त्री

हो या पुरूष समाज हो या राष्ट्र अस्तित्व रक्षा स्वतंत्रता और शांति संभव है। युद्व हिंसा व सामाजिक न्याय के लिए मूलभूत अधिकारों के बिना क्या शांति संभव है। युद्व हिंसा व सामाजिक विघटन की स्थितियों में प्रबुद्व महिलाओं द्वारा हर जगह उठाई गई माँगे दिशाहीन एवं आंदोलन में नए मोड़ की सूचक है।

महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो, जो उसके लिए बनाई गई जा रही है। यह तभी संभव है जबकि वे स्वयं उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हो, जो नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राजनीतिक शक्ति संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से ही महिलाएँ सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। आज का युग महिला सशक्तिकरण का है। कभी महिला अबला कही जाती थी, परन्तु आज सबला है। आज की महिला अपने अस्तित्व की पहचान कर रही है। अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग हुई है। घर की चारदीवारी में कैद न होकर स्वतंत्र होना चाह रही है। यह सत्य है कि देश में कन्या भ्रूण हत्या का पाप एवं यौन शोषण की घटनाएं अनवरत प्रगति पर है किन्तु फिर भी इस संदर्भ में महिलाओं की ओर से अथक सफल प्रयास जारी है। आज की महिला अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष करने वाली भंवरी देवी है, त्याग और करूणा की प्रतीक मदर टेरेसा है, अंतरिक्ष की ऊंचाईयों को छूने वाली कल्पना चावला है तथा सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर अरूंधति राय है। जीवन की प्रतियोगिता और स्पर्द्धा में श्रेष्ठतम स्थान पाने में वे समर्थ रही है। कहा जा सकता है कि नारी उच्चतम नैसर्गिक शक्तियों का स्त्रोत है, अत: उसे जागृत कर खुशहाल जीवन की और प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है।

अत: दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज अनवरत संघर्ष के बूते देश में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़कर हर क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समकक्ष साबित किया है। वे नए जोश के साथ रसोईघर की दहलीज लांघकर सामाजिक दायित्व निभाती दिखाई पड़ रही हैं। अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए महिलाओं ने गरीबी और सामाजिक बंधनों को भी तोड़ा है। ये सुधार जाहिर तौर पर महिलाओं में चेतना का प्रतीक है। 21वीं सदी का भारत नारियों का भारत होगा, ऐसा विश्वास है। विकसित भारत के हर क्षेत्र में नारियों की भागीदारी बढ़ रही है। उनका अपेक्षित विकास पुरूषों की तुलना में काफी आगे है। निष्कर्षत: महिलाओं के सशक्तिकरण से ही परिवार, समाज राष्ट्र एवं अखिल विश्व का कल्याण है। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का वास्तविक स्वरूप महिलाओं में दृष्टिगोचर हो, ऐसी कामना है। विश्व के विकास में स्त्रियों की भागीदारी यही आज की माँग है, जो उचित है। संगीत, सिनेमा, दूरदर्शन, विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यवसाय, उद्योग, कला, पर्यटन आदि समस्त क्षेत्रों में इनकी भागीदारी पुरूषों से कतई कम नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि:-''यदि आप मुझे पांच सौ पुरूष दे दो तो मैं राष्ट्र को एक वर्ष में बदल दूंगा, परंतु यदि मुझे पचास महिलाएं दे दो तो मैं कुछ ही महीनों में देश को बदल दूंगा।''

अत: हम यह कह सकते हैं कि नि: संदेह सरकार ने अपने प्रयासों और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से जुझते हुए महिलाओं ने चौखट की दहलीज से अन्तरिक्ष तक का रास्ता बनाया है। आज घूँघट उठने पर बेशर्म, बेहया, बेअदब जैसे अपमानित शब्दों से दूर नारी समाज में एक स्थान बनाने में कामयाब हुई हैं। हालाँकि सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और परम्पराओं को टूटने में समय लगता है। किन्तु आज की नारी के प्रति सोच में लोगों का नजरिया भी बदला है। अब जरूरत है कि समाज के लिए आदर्श बन चुकी कछ महिलाओं को सामान्य जीवन का सामाजिक सच बनाया जाए। यही पूरे देश की भारतीय संदर्भो में विकास की परिभाषा होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1	श्रीवास्तव ए.एल: मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 1979
2	लूनिया, बी.एन: प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्रकाशन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
3	कस्तवार, रेखा: स्त्री चिंतन की चुनौतियां, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
4	पाण्डेय, विमल चन्द्र: भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास, प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी-2000

5	सिंघल, लता: भारतीय संस्कृति में नारी
6	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
7	पाण्डेय, अजय शंकर: भारत में महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक विवेचन, गायत्री पब्लिकेशन्स, 2010
8	पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह: सशक्त स्त्री सशक्त देश, योजना अक्तूबर, 2008
9	व्होरा, आशा रानी: औरत – कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, 2006
10	कुमार, राकेश: नारीवादी विमर्श, आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा
11	राजकुमार: भारतीय नारी: सामाजिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
12	अल्तेकर, ए.एस: वीमेंस हिंदू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1962
13	देसाई, नीरा: वूमन इन माईन इंडिया, वोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स, मुंबई, 1957
14	शर्मा, प्रज्ञा: महिला विकास और सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
15	बेदी, किरण: महिला सशक्तिकरण: कुछ विचार, योजना, अक्तूबर, योजना भवन, नई दिल्ली
16	जैन, सुधा: आधुनिक नारी: दशा एवं दिशा, सूर्य भारती प्रकाशन शाहदरा, दिल्ली।
17	द्विवेदी, पूनम: महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून, कुरूक्षेत्र, मार्च, 2007
18	आहूजा, राम: सामाजिक समस्याएं: रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
19	शर्मा, नीता: संविधान का विश्वकोश: अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।